पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
भारत सरकार
(मेदिनी पुरस्कार योजना)

पर्यावरण एवं इससे जुड़े विभिन्न विषयों जैसे:- वन, वन्यजीव, प्रदूषण, जल संसाधन आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को बढावा देने की दृष्टि से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही 'मेदिनी पुरस्कार योजना' के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष भारतीय लेखकों से पुस्तकें आमंत्रित की जाती हैं । तद्नुसार, कैलेंडर वर्ष 2009 के लिए भारतीय लेखकों से पुस्तकें आमंत्रित की जाती हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रावधान है : -

प्रथम पुरस्कार	-	31,000/-रुपए -	(एक)
द्वितीय पुरस्कार	-	25,000/-रुपए -	(एक)
तृतीय पुरस्कार	-	20,000/-रुपए -	(एक)
प्रोत्साहन पुरस्कार	-	15,000/-रुपए -	(एक)

इस योजना के अंतर्गत उन्हीं लेखकों की पुस्तकों पर विचार किया जाएगा, जो पहली जनवरी, 2007 से 31 दिसम्बर, 2009 तक की अवधि के दौरान प्रकाशित हुई होंगी और जिनमें डिमाई आकार के कम से कम 100 मुद्रित पृष्ठ होंगे । जिन पुस्तकों को लिखने के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा चलाई गई किसी योजना के अंतर्गत पुरस्कार अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त हुई हो, उन पुस्तकों पर इस योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पहले से पुरस्कृत पुस्तकों के लेखकों की पुस्तकों पर पुरस्कार के वर्ष से अगले तीन वर्षों तक विचार नहीं किया जाएगा ।

इस योजना के तहत कोई भी भारतीय लेखक अपनी पुस्तकें पुरस्कार हेतु विचारार्थ भेज सकता है। संबंधित लेखक कृपया अपनी प्रविष्टियां निर्धारित प्रपत्र में भरकर अपनी पुस्तक की 7 प्रतियों के साथ 30 जुलाई, 2010 तक निम्नलिखित पते पर भिजवा दें -

निदेशक (रा.भा.)
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
पर्यावरण भवन, कमरा न. 625,
सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003

दिनांक 30 जुलाई, 2010 के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा । विस्तृत प्रोफार्मा वेबसाइट http://www.envfor.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है ।

सु. प्र. चौबे
निदेशक(राजभाषा)
011-24361952

पर्यावरण आदि से संबंधित विभिन्न विषयों पर मूलत: हिन्दी में लिखी गई पुस्तकों के लेखकों द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मेदिनी पुरस्कार योजना के लिए भरा जाने वाला आवेदन-पत्र ।

सेवा में,

निदेशक (राजभाषा)
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
पर्यावरण भवन,कमरा नं0 625,
सी जी ओ काम्पलैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली- 110 003

1. लेखक का नाम----------
   व पूरा पता ----------
   ----
2. लेखक की शैक्षिक योग्यता----------
3 (क)पुस्तक का शीर्षक ----------
   (ख) पुस्तक की विषय वस्तु----------
   (नियमावली का पैरा 2(2) देखें ।)
4 लेखक द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों के नाम----------
   ----
5. लेखक की राष्ट्रीयता----------
6. प्रकाशक का पूरा नाम व पता----------
   ----
7. पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई----------
8 भारत सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र की किसी प्रतियोगिता या किसी प्रतिष्ठित संस्थान के अंतर्गत यह पुस्तक पुरस्कृत तो नहीं हुई है ----------
   यदि 'हां ', तो इस संबंध में पूरे विवरण दें ----------
   ----
9 यह पुस्तक किसी अन्य भाषा में लिखी पुस्तक का अनुवाद तो नहीं है----------
10 क्या लेखक ने पुस्तक को मूल रूप से हिंदी में लिखा है----------
11 क्या प्रस्तुत पुस्तक के एक से अधिक लेखक है----------
12 यदि 'हां ,' तो सह-लेखकों का नाम व पता----------
13 क्या पुस्तक का स्वत्वाधिकार (कॉपीराइट) स्वयं लेखक का है----------
   यदि ' नहीं ' तो क्या स्वत्वाधिकारी की अनुमति ले ली गई है
   (कॉपीराइट का अनुमति पत्र मूल रूप में साथ भेजें)

घोषणा-पत्र

(क) मैंने पुरस्कार योजना के नियमों को पढ़ लिया है और मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ।

(ख) मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यह पुस्तक मूलतः मेरे द्वारा लिखी गई है और यह किसी दूसरे के कॉपीराइट अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है।

(ग) मैं भारत का नागरिक हूँ।

(घ) प्रेषित ग्रन्थ/पुस्तक का मैं ही एकमात्र रचनाकार हूँ/नहीं हूँ

(च) प्रेषित ग्रन्थ/पुस्तक पर मेरा /अन्य का स्वत्वाधिकार है तथा इस रचना को इस वर्ष के पुरस्कारों के विचारार्थ भेजने के लिए मैंने स्वत्वाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ली है जो मूल रूप से आवेदन के साथ संलग्न कर दी है। (जो अंश लागू न हों उन्हें काट दें)

(छ) मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि प्रपत्र में दिए गए विवरण सही हैं।

तारीख---------- हस्ताक्षर----------

स्थान---------- पूरा नाम----------

पूरा पता----------

टिप्पणीः- यदि किसी पुस्तक के एक से अधिक लेखक है तो कृपया प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी इस प्रपत्र को अलग अलग भरकर प्रस्तुत करें।

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

पर्यावरण आदि विषयों पर मूलत: हिंदी में लिखी गई पुस्तकों पर पुरस्कार प्रदान करने के नियम

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण,वानिकी, वन्यजीव और गंगा परियोजना से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन करने वाले भारतीय लेखकों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक योजना लागू की है। इस योजना की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :-

1. योजना का नाम

इस योजना का नाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मेदिनी पुरस्कार योजना होगा। यह पुरस्कार पर्यावरण, वानिकी, वन्यजीव और गंगा परियोजना संबंधी विषयों पर हिन्दी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए प्रदान किया जाएगा।

2. उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र

1. इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित पुस्तकों के हिंदी में मौलिक लेखन को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत उन भारतीय लेखकों को सम्मानित किया जाएगा जो मौलिक हिंदी पुस्तकों का लेखन करते हैं।
2. इस उद्देश्य के लिए पर्यावरण से संबंधित चुने गए विषय नीचे दिए गए हैं:-

    1. प्रदूषण नियंत्रण
    2. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन
    3. पारिस्थितिकी पुनर्जनन एवं विकास
    4. वन संसाधन एवं विकास
    5. वन्यजीव
    6. अनुसंधान संवर्द्धन
    7. पर्यावरण शिक्षा
    8. प्रकृति का संरक्षण और जीवमंडल रिजर्व।

जो भारतीय लेखक उपर्युक्त विषयों में से किसी भी विषय पर पुस्तकें प्रकाशित करते हैं वे पुरस्कार के लिए विचारार्थ प्रविष्टियां प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रकाशक या अन्य कोई व्यक्ति अथवा संस्थान लेखकों की ओर से पुरस्कार की मंजूरी के लिए मौलिक पुस्तकों की प्रविष्टियां प्रस्तुत कर सकता है।

3. पुरस्कार की राशि

3.1 प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में पुरस्कार निम्नवत प्रदान किए दिए जाएंगे।
पहला पुरस्कार----------31,000/-रूपए

दूसरा पुरस्कार----------25,000/-रूपए
तीसरा पुरस्कार----------20,000/-रूपए
सांत्वना पुरस्कार----------15,000/-रूपए

उपर्युक्त पुरस्कारों के विजेता मंत्रालय से कोई भी अन्य लाभ अथवा सहायता के पात्र नहीं होंगे ।

3.2 यदि किसी वर्ष यह पाया गया कि उपर्युक्त मानक के अनुसार कोई भी प्रविष्टि नहीं है तो इस बारे में पर्यावरण एंव वन मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा ।

4. योजना की विशेषताएं

4.1 इस योजना का संचालन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा ।

4.2 पुरस्कार प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए दिए जाएंगे । पिछले तीन वर्षों के दौरान हिंदी में उपयुक्त, मौलिक प्रकाशित पुस्तकों पर विचार किया जाएगा, बशर्ते इनमें प्रकाशित पृष्ठों की संख्या कम से कम 100 हों ।

4.3 कैलेण्डर वर्ष के दौरान प्रस्तुत की गई पुस्तकों का मूल्यांकन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा । अंतिम निर्णय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव द्वारा लिया जाएगा ।

4.4 ऐसी पुस्तकें जिन्हें भारत सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा निजी निकाय द्वारा चलाई गई किसी अन्य योजना के अंतर्गत कोई पुरस्कार, वित्तीय सहायता अथवा अन्य कोई विशेष सहायता प्राप्त हो गई हो वे इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगी ।

(क) किसी भी लेखक को एक कैलेण्डर वर्ष में एक से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे ।

(ख) चुनी हुई पुस्तकों की आवश्यकता के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा इसके कार्यालयों में अधिक खरीद के लिए सिफारिश की जाएगी ।

(ग) जिन लेखकों की पुस्तकों को पुरस्कृत किया जाएगा उनकी अन्य रचनाओं को अगले तीन वर्षों तक पुरस्कार योजना में शामिल नहीं किया जाएगा ।

इस योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें वापिस नहीं लौटाई जाएंगी ।

5. पुरस्कार के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया

5.1 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अंग्रेजी और हिंदी के प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित सूचना के माध्यम से लेखकों से पुरस्कार के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा ।

6. मूल्यांकन समिति

6.1 मूल्यांकन समिति का गठन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और अध्यक्ष सहित इसके चार सदस्य होंगे । यदि समिति चाहे तो अपनी सहायता के लिए दो विशेषज्ञों को सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकती है ।

6.2 यदि किसी विशेष वर्ष में मूल्यांकन समिति का कोई सदस्य अपनी किसी पुस्तक को पुरस्कार हेतु विचार किए जाने के लिए भेजने का इच्छुक है तो उस विशेष वर्ष के लिए वह मूल्यांकन समिति का सदस्य नहीं रहेगा ।

6.3 अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत पुस्तकों पर मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य को उनके द्वारा किए गए मूल्यांकन के लिए यथा-निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा ।

6.4 पुरस्कारों की घोषणा मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद की जाएगी ।

6.5 समिति के सदस्यों के नाम और मूल्यांकन समिति की कार्रवाई गोपनीय रखी जाएगी ।

7. सामान्य

7.1 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों को भी उपर्युक्त योजना में भाग लेने की अनुमति होगी लेकिन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लिखी पुस्तकों को उन्हें उपलब्ध विशेष सुविधाओं के संदर्भ में आंका जाएगा ।

7.2 उपर्युक्त योजना में भाग लेने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विचार किए जाने हेतु प्रविष्टियों को प्रस्तुत करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

7.3 यह योजना प्रत्येक वर्ष जारी रहेगी । तथापि इसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हुए मंत्रालय इस योजना को जारी करने के बारे में पुनरीक्षा करेगा ।